

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

Website:- www.rajsec.rajasthan.gov.in, Email:- secraj@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- प.3(9)स्टोर/रानिआ/2016/Vol.II/1278

दिनांक: 28/04/2025

कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या O.I.2025-26

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर कार्यालय में स्थापित फॉटोस्टेट मशीन Sharp MX 452N की रिपेयरिंग के लिए मूल उपकरण विनिर्माता (शार्प कम्पनी)/प्राधिकृत डीलर/प्राधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर से बंद लिफाफों में कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय अथवा SPPP Portal से प्राप्त किये जा सकते हैं।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि
1.	फॉटोस्टेट मशीन Sharp MX 452N की रिपेयरिंग	40000 /-

निविदा प्राप्त करने की तिथि - 30.04.2025, प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 06.05.2025 को प्रातः 11:00 बजे तक
निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि - दिनांक 06.05.2025 को दोपहर 02:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि - दिनांक 06.05.2025 को दोपहर 03:00 बजे

जो निविदाएं निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं की जावेगी, उन्हें रद्द कर दिया जावेगा।

निविदा प्रपत्र आयोग की वेबसाइट www.rajsec.rajasthan.gov.in एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> से भी डाउनलोड किया जा सकता है। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

(नलिनी कठोटिया)

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- प.3(9)स्टोर/रानिआ/2016/Vol.II/1279

दिनांक: 28/04/2025

प्रतिलिपि:- ACP, राज्य निर्वाचन आयोग को भेजकर लेख है कि बोली सूचना एवं बोली प्रपत्र आदि SPPP Portal एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

(नलिनी कठोटिया)

सहायक सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

B

D

N

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

Website: www.rajsec.rajasthan.gov.in Email: secraj@rajasthan.gov.in

निविदा प्रपत्र

निविदा प्राप्त करने की तिथि – 30.04.2025, प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 06.05.2025 को प्रातः 11:00 बजे तक
निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि – दिनांक 06.05.2025 को दोपहर 02:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि – दिनांक 06.05.2025 को दोपहर 03:00 बजे

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं पूरा पता मय टेलिफोन/मोबाईल नं. :
.....
.....
2. निविदा सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को सम्बोधित की जानी चाहिये।
3. हम सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या.....दिनांकमें वर्णित सभी शर्तों से तथा इस प्रपत्र में दी गई सभी शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इसके सभी पृष्ठों पर हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
4. निविदा खोलने के समय फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
5. सफल निविदादाता को नियमानुसार 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि (कार्य सम्पादन प्रतिभूति) जमा करानी होगी।
6. जिस बोलीदाता की बोली न्यूनतम होगी उसी को कार्यादेश दिया जा सकेगा।
7. मैं/हम राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली सूचना क्रमांक: प. 3(9)स्टोर/रानिआ/2016/Vol.II/.....दिनांक..... में वर्णित सभी शर्तों हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा दी गई उक्त सूचना की अतिरिक्त शर्तों से भी बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदा एवं संविदा की शर्तें

(देखिये नियम 68)

टिप्पणी:— निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएँ भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. निविदादाता के द्वारा कार्यालय समय में आयोग में रखी फॉटोस्टेट मशीन का निरीक्षण कर, उसमें किये जाने वाले रिपेयरिंग कार्य का आंकलन कर तदनुसार मरम्मत की दरें प्रस्तुत करनी होगी।
2. यदि मशीन के किसी पार्ट को चैज किया जाना है तो लगाये जाने वाले नये पार्ट्स की दरें पृथक-पृथक रूप से प्रस्तुत करनी होगी तथा पार्ट्स की वारंटी अवधि का उल्लेख भी करना होगा। वारंटी अवधि उपरान्त ही परफॉरमेंस सिक्युरिटी को नियमानुसार लौटाया जा सकेगा।
3. फोटोस्टेट मशीन में बदले जाने वाले पार्ट्स Sharp कम्पनी के ही लगाने होंगे।
4. निविदादाता द्वारा Sharp Company का प्राधिकृत डीलर/प्राधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जावेगा।
5. निविदादाता को कार्यदेश के 7 दिवस में मशीन मरम्मत का कार्य किया जाना है।
6. निविदा को उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बन्द करना चाहिये।
7. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने के अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।
8. निविदा प्ररूप स्याही से भरा जायेगा या टंकण/कम्प्यूटराईज होगा। पेंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
9. दर अंकन में कोई त्रुटि (Errors) एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो, तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।
10. **बातचीत (Negotiation) :-** (i) जहाँ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत नहीं की जावेगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी।
(क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या
(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।
11. **विधि मान्यता :-** निविदायें उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।
12. निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप-भाडे (सबलेट) पर नहीं देगा।
13. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सुविधा प्रदान करने में असफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नहीं करने पर सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्ज खर्च पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही परफोमेंस सिक्युरिटी राशि भी जब्त की जा सकती है।
14. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी।
15. (1) **प्रतिभूति निक्षेप (कार्य सम्पादन प्रतिभूति) :-**
 - (i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी।
 - (ii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
 - (iii) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे:-
 - (क) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक
 - (ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत् गिरवी (pledge) रखा जाएगा।

(ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्किट/विलेख, यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

(2) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहत किया जाएगा—

- (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

16. क्रेय अधिकारी किसी निविदा को बिना कारण बतलाये अस्वीकृत करने का और किसी भी निविदा को समस्त या किसी या अधिक वस्तुओं, जिसके लिये निविदा दी गई है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक से अधिक को वितरित करने का, अधिकार सुरक्षित रखता है।

17. 1. I). निविदा प्रपत्र में सेवाये/माल की सुर्पुदगी के लिये विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

II). परिसमापित नुकसानी — परिसमापित नुकसानी के साथ सुर्पुदगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सेवाये मूल्यों के लिये की जायेगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है।

- (क) विहित सुर्पुदगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये — 2.5%
- (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से — 5% अनाधिक के लिये
- (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई से — 7.5% अनाधिक अवधि के लिये
- (घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये — 10%

2. प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।

3. परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

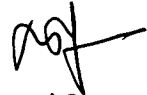
4. यदि प्रदाय करता किन्ही बाधाओं के कारण संविदा अन्तर्गत सेवा का प्रदाय पूरा करने के लिये समय में वृद्धि चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के गठित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

5. यदि माल का प्रदाय करने से उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुर्पुदगी अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

18. भुगतान — सप्लायर सा.वि. ले.नि. के अनुसार उचित प्रारूप में बिल 03 प्रतियों में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा।

19. बोली शर्तों के अतिरिक्त कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि बोलीदाता कोई ऐसी शर्त आरोपित करता है जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा।

20. आयोग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
21. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालय में की जायेगी एवं अन्यत्र नहीं की जायेगी।
22. निविदा प्रपत्र के साथ आनलाईन भुगतान हेतु केन्सिल चैक की प्रति एवं बैंक का नाम तथा बैंक का IFSC Code आदि का प्रमाण संलग्न करना होगा।
23. सा.वि. एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे।



(नलिनी कठोटिया)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

मैंने उपरोक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपरोक्त सभी शर्तों से प्रतिबद्धित रहूंगा/रहेंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मुहर

निविदादाता का नाम व डाक का पता
टेलिफोन/मोबाईल नम्बर

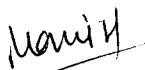


**राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर बोलीदाता का विवरण
(बोलीदाता द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जावे)**

1	सेवा का नाम, जिसके लिए बोली प्रस्तुत की है।	
2	बोलीदाता फर्म का नाम	
	पता	
	दूरभाष संख्या एवं ई-मेल का पता	
3	फर्म का पैन पंजीकरण क्रमांक (प्रति संलग्न की जावे)	
4	जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक (प्रति संलग्न की जावे)	

बोली दाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम
पता





वित्तीय निविदा का प्रपत्र

क्र.सं.	आवश्यकतानुसार मरम्मत/चेंज किये जाने वाला पार्ट	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरें (सभी करों सहित) राशि रु. में
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
कुल दरें		

नोट -

1. उक्त तालिका के कॉलम संख्या 2 में निविदादाता द्वारा मशीन का निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार मरम्मत/चेंज किये जाने वाले पार्ट्स का उल्लेख करते हुये कॉलम संख्या 3 में मरम्मत/चेंज किये जाने वाले पार्ट्स एवं सर्विसिंग की दरें अंकित करनी होगी।
2. उक्त निर्धारित प्रपत्रानुसार ही दरें प्रस्तुत करनी होगी।
3. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पृथक-पृथक पार्ट्स की दरों का योग करते हुए जिस निविदादाता की कुल दर न्यूनतम होगी उसी फर्म की दरें स्वीकृत की जा सकेगी।

बोली दाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम
पता



